

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 47/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नारायण पिता कालु रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. कालु पिता टेका जाट आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मांगु पिता केरिंग रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गंगाबाई पत्नि केशु रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. लादु पिता भैरा रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. रोशन पिता भैरा रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. सुरेश पिता भैरा रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. कंकु बेवा भैरा रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. डालु पिता खेमा रावत आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. मांगी देवी पत्नि बंशीलाल सवर्णकार आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. मोहन पिता गणेश सुथार आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. बालु पिता गणेश सुथार आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. भैरूलाल पिता जैसिंग जाट आयु वयस्क निवासी नयाखेडा (झडोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. पप्पुलाल पिता भंवरलाल कलाल आयु वयस्क निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. बंशीलाल पिता अंबालाल कलाल आयु वयस्क निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. सुखा पिता लालु जाट आयु वयस्क निवासी नयाखेडा (झडोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियात ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल के बेरून हल्का आबादी मे स्थित खाता सं० 340 में अंकित आराजी संख्या 2708 रकबा 0.69 हे०, आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 हे०, आराजी संख्या 2749 रकबा 0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 हे०, भूमिया व खाता संख्या 125 मे अंकित आराजी संख्या 3318/2232 रकबा 0.36 हे०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हे० भूमि तथा ग्राम नयाखेडा मे स्थित खाता संख्या 14 मे अंकित आराजी संख्या 406/297 रकबा 0.32 हे०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 हे० भूमि स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आए दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है, तथा विपक्षीगण आए दिन प्रार्थी कि कृषि आराजियात मे दखल अंदाजी करते रहते हैं। प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परंतु विपक्षीगण नही मान रहे है। जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा परंतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत दिनांक 08.04.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो

ए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 25.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।  
अतः

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल के बेरुन हल्का आबादी में स्थित खाता सं० 340 में अंकित आराजी संख्या 2708 रकबा 0.69 हे०, आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 हे०, आराजी संख्या 2749 रकबा 0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 हे०, भूमिया व खाता संख्या 125 में अंकित आराजी संख्या 3318/2232 रकबा 0.36 हे०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हे० भूमि तथा ग्राम नयाखेडा में स्थित खाता संख्या 14 में अंकित आराजी संख्या 406/297 रकबा 0.32 हे०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 हे० भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 200/- अक्षरे दौ सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 780/- अक्षरे सात सौ अस्सी रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा